न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

Appeal No.: 2019RAAJodhpur225RTA113

माणकराम पुत्र हरीराम जाट
निवासी बारनी कल्ला, तहसील भोपालगढ
जिला जोधपुर
हाल प्लाट नम्बर 14 खसरा संख्या 56/7,
सारण नगर सी रोड, बनाड रोड, जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. स्वरूपराम पुत्र बगुलाराम जाट
2. भींयाराम पुत्र जयराम जाट
   निवासीगण ग्राम बारनीखुर्द, तहसील भोपालगढ
   जिला जोधपुर
3. प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
   रजलानी, तहसील भोपालगढ,
   जिला जोधपुर
4. तहसीलदार भोपालगढ, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ दिनांक 14 अगस्त, 2019 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 08/2018 स्वरूपराम व अन्य बनाम माणकराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री राजेन्द्र जाखड, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री अभिषेक मिर्धा, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री दूदाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 23 अक्टू., 2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थीगण-रेस्पो. के खेत से चिपते अन्य खसरा संख्या 3559 व 3554 जो कटाणी रास्ते पर स्थित है, पर उपलब्ध है और प्रार्थीगण-रेस्पो. प्रस्तावित रास्ता मात्र अपनी मनमर्जी और सुविधा से नया रास्ता कायम करना चाहते है। मौका फर्द मंगवाया जाकर अभिलेख पर लिये जाने मात्र से स्वतः स्पष्ट हो जाता कि आलौच्य प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत पोषणीय ही नहीं है। अंत में अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश विधि-विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने का अनुरोध किया। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट संख्या 11548/2018 रामप्यारी व अन्य बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01 मार्च 2019[1] की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

जबाब में प्रत्यर्थीगण संख्या एक एवं दो की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मत पारित किया गया है, और यदि कोई तकनीकी त्रुटि रह भी गयी है तो उसका खामियाजा पक्षकार पर नहीं डाला जाना चाहिये। मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पो. नियमानुसार रास्ते में अपीलाण्ट की खातेदारी का जो रकबा प्रयुक्त होता है, उसके प्रतिफल में डीएलसी दर के आधार पर नियमों में देय राशि या विकल्प में भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है। प्रस्तावित रास्ते के अभाव में रेस्पो. का अपनी खातेदारी की भूमि तक आवागमन दुरूह हो जायेगा। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

[1] S.B.Civil Writ No. 11548/2018 Rampyari n ors Vs Board of Revenue for Rajasthan n ors (in the Hon'ble Rajasthan High Court, Jodhpur) Decided 1st of March, 2019

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट संख्या 11548/2018 रामप्यारी व अन्य बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01 मार्च 2019[2] के मामले में भी यही धारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व इस महत्वपूर्ण विधिक प्रकिया की पालना सुनिश्चित नहीं की गयी है, जिससे अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता हैं। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 69 से 71 की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्धारित अवधि में निर्णय करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13 नवम्बर 2019 को पेश हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/X/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

[2] S.B.Civil Writ No. 11548/2018 Rampyari n ors Vs Board of Revenue for Rajasthan n ors (in the Hon'ble Rajasthan High Court, Jodhpur) Decided 1st of March, 2019